राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 24.04.2020

दिशा–निर्देश

COVID–19 महामारी एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा एपीडेमिक डिजिजेज एक्ट, 1957, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 तथा अन्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में कोविड–19 की रोकथाम, बचाव, नियंत्रण व शमन के लिए विभिन्न आदेश, दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी समय–समय पर जारी किये गये है। उक्त आदेशों, दिशा–निर्देशों एवं एडवायजरी की निरन्तरता में कोविड–19 की रोकथाम, बचाव, नियंत्रण व शमन के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

परिभाषाएंः

- **समूह** (Cluster) : ऐसा नया भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पॉजिटिव केस की संख्या 15 से कम है और वे केस आपस में Epidemiologically जुड़े हुए हो।
- प्रकोप **(Large Outbreak) :– यदि किसी क्षेत्र में** पॉजिटिव **केस की संख्या 15 से अधिक हो** और वे केस आपस में Epidemiologically जुड़े हुए नहीं हो। इसके निम्न तीन चरण होंगेः–
  1. **प्रथम चरण (Stage 1 Large Outbreak) : जब किसी क्षेत्र में** पॉजिटिव **केसों की संख्या 16 से 50 के मध्य हो** और वे केस आपस में Epidemiologically जुड़े हुए नहीं हो।
  2. **द्वितीय चरण (Stage 2 Large Outbreak):** जब **किसी क्षेत्र में** पॉजिटिव **केसों की** संख्या 51 से 150 के मध्य हो तथा पॉज़िटिव केसों की वृद्धि दर (Positivity rate) 5 प्रतिशत से अधिक और 10% से कम हो या 5 से अधिक पॉजिटिव केस आपस में Epidemiologically जुड़े नहीं हों।
  3. **तृतीय चरण (Stage 3 Large Outbreak):** जब किसी क्षेत्र में पॉज़िटिव केसों की संख्या 150 से अधिक हों या पॉज़िटिव केसों की वृद्धि दर (Positivity rate) 10% से अधिक हो या 10 से अधिक पॉजिटिव केस Epidemiologically जुड़े नहीं हों।
- **सक्रिय निगरानी (Active Surveillance)** : COVID–19 के संदिग्ध केसों का घर–घर जाकर Active Search करना।

- **सम्पर्क ट्रेसिंग (Contact Tracing)** : सम्पर्क ट्रेसिंग में उन केसों को चिन्हित किया जाता है जो COVID–19 के Confirmed Case संपर्क में आए हों।
- **निष्क्रिय निगरानी (Passive Surveillance)**: निष्क्रिय निगरानी को इन्फ्लुएंजा जैसी अस्वस्थता ILI/SARI के लक्षणों के साथ स्वास्थ्य केन्द्रो में चिन्हित होने वाले केसों की पहचान के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **परिधि नियंत्रण (Perimeter control - Curfew)** : पॉजिटिव पाये गये केस के 3 किलोमीटर की रेडियस में सड़कों और डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, सभी आपात स्थिति का प्रबंधन सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और किसी को भी क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि कुछ आपात स्थितियों के कारण, किसी को बाहर जाने की अनुमति दी जानी है और उसके आवागमन का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना आवश्यक है और आपात/विशेष स्थिति में बाहर जाने वाले प्रत्येक मामले की सख्त निगरानी किया जाना आवश्यक है। कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र की परिधि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य, सीएमएचओ, एसपी की समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी।
- **भौगोलिक क्वारंटीन (Geographical Quarantine)** : भौगोलिक क्वारंटीन का अर्थ है कि Containment Zone में रहने वाले सभी लोग, उसी क्षेत्र में निवास करेंगे। भौगोलिक क्वारंटीन क्षेत्र कर्फ्यू क्षेत्र के भीतर वह क्षेत्र होगा, जहां अधिकतम संख्या में पॉजिटिव केस हैं। किसी को भी अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। भौगोलिक क्वारंटीन क्षेत्र में आवश्यक सेवा प्रदाताओं के लिए आवासीय व्यवस्था के प्रावधान जिला प्रशासन द्वारा किए जावे। इस क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाओं की टीम और मेडिकल टीम को दो सप्ताह के लिए तैनात किया जावे और उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उन्हें दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जावे। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाये रखने हेतु टीमों की पहचान यथासमय पूर्व में ही की जावे।
- **कंटेनमेन्ट ज़ोन** : किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पाये गये पॉजिटिव केस के 3 किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र। Containment Zone में सभी प्रमुख स्थलों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची बनाई जावें।
- **बफर ज़ोन** : Containment Zone के बाहर अग्रिम दो किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र।
- **कन्टेनमेंट उपाय** : समुदाय में वायरस के प्रसार को रोकना। जिसमें निम्न गतिविधियां शामिल है।
  - तत्काल परिधि नियंत्रण (Perimeter Control/Curfew)
  - सक्रिय निगरानी (Active Surveillance)
  - संपर्क ट्रेसिंग (Contract Tracing)
  - निष्क्रिय निगरानी (Passive Surveillance)

- परीक्षण (Testing)
- पॉजिटिव केसों को बीमारी की गंभीरता के आधार पर Covid Care Centre/Designated Covid Health Centre's/ Designated Covid Hospital में भर्ती करना।

- **शमन के उपाय** (Mitigation Measures) : इन उपायों का मुख्य लक्षय बीमारी के फैलाव/संक्रमण को रोकना व मरीजों को गुणवत्तापूर्ण समुचित देखभाल प्रदान करते हुए जीवन बचाना है।

प्रदेश में कोविड–19 की रोकथाम (Containment) बचाव, नियंत्रण व शमन (Mitigation) के लिए जिले की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

➢ यदि Containment Area क्लस्टर/चरण 1 बड़े आउटब्रेक की श्रेणी में है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

1. प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र (Health Facility centre) पर निष्क्रिय निगरानी (Passive Surveillance) को प्रभावी रूप से लागू किया जावे। किसी व्यक्ति के सैम्पल लेते समय ही उसका वास्तविक नाम, पता व मोबाईल/टेलीफोन नम्बर दर्ज किया जावे व उसे दैनिक आधार पर राज्य स्तर पर साझा किया जावे।

2. यदि किसी भी नए भौगोलिक क्षेत्र में कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसे क्लस्टर के रूप में परिभाषित किया जाकर निम्नलिखित कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से की जावे:–

   A. तीन किलोमीटर के Containment Zone में तत्काल कर्फ्यू लगाया जावे।
   B. कन्फर्म्ड केस के संपर्क में आये सभी व्यक्तियों (Contacts) को तुरंत पूर्व में चिन्हित क्वारंटीन सुविधाओं में क्वारंटीन किया जावे।
   C. हाउस–टू–हाउस विजिट के माध्यम से एक्टिव सर्च सुनिश्चित की जावे। सभी ILI/SARI रोगियों व उनके संपर्क में आये सभी व्यक्तियों (Contacts) की सूची तैयार कर उनका RT-PCR टेस्ट कराया जावे। COVID-19 पॉजिटिव केस के संपर्क में आये व्यक्तियों (Contacts) का 5–14 दिनों के बीच सैम्पल लिया जाकर परीक्षण हेतु भिजवाया जावे।
   D. क्लस्टर क्षेत्र में पाये गये अंतिम पॉजिटिव केस की दिनांक से 28 दिनों तक कर्फ्यू, रोकथाम व नियंत्रण (Containment) गतिविधियां जारी रखी जावें।
   E. सभी पॉजिटिव केस का इलाज बीमारी की गंभीरता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सुविधा केंद्र में किया जावे। COVID देखभाल केंद्रों (COVID Care Centre- CCC) में Mild and Asymptomatic केसों को, समर्पित COVID स्वास्थ्य केंद्र (Dedicated COVID Health Centre - DCHC) में Moderate केसों को और Severe केसों का इलाज, समर्पित COVID अस्पताल (Dedicated COVID Hospital – DCH) में किया जावे।

F. इस पूरी प्रक्रिया के लिए सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जिला कलेक्टरों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जावे। कर्फ्यू के आदेश जारी करने के तुरंत बाद, यदि संभव हो तो कॉलोनीवार प्रभावशाली व्यक्ति, धार्मिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित की जानी चाहिए। स्वयंसेवकों की एक सूची बनाकर उनका सहयोग लिया जाए। स्वयंसेवी संगठन जो आवश्यक सेवाओं के प्रबन्धन व आपूर्ति में सहयोगी हो सकते है, को चिन्हित किया जाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जावे।

3. यदि प्रभावित क्षेत्र चरण 2 बड़े आउटब्रेक श्रेणी (Stage 2 large outbreak) के अन्तर्गत आता है, तो निम्नांकित कार्यवाही की जावें :–

A. नियंत्रण क्षेत्र में (Containment Zone) कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जावें।
B. नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zone) के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को Geographical Quarantine कर कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जावें।
C. निष्क्रिय निगरानी (Passive Surveillance) को प्रभावी रूप से लागू किया जावें।
D. सभी संदिग्ध केसों, कन्फर्म्ड केसों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों (Contacts) व सभी ILI/SARI रोगियों की (RT-PCR)जांच की जाकर उन्हें आईसोलेट किया जावें।
E. केवल Moderate से Severe रूप से बीमार रोगियों का इलाज स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र (health facility centre) में किया जाये, बाकी सभी रोगियों की घरेलू स्तर पर देखभाल व प्रबंधन किया जावें।
F. इस पूरी प्रक्रिया के लिए सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जिला कलेक्टरों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जावे। कर्फ्यू के आदेश जारी करने के तुरंत बाद, यदि संभव हो तो कॉलोनीवार प्रभावशाली व्यक्ति, धार्मिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित की जानी चाहिए। स्वयंसेवकों की एक सूची बनाकर उनका सहयोग लिया जाए। स्वयंसेवी संगठन जो आवश्यक सेवाओं के प्रबन्धन व आपूर्ति में सहयोगी हो सकते है, को चिन्हित किया जाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जावे।

4. यदि प्रभावित क्षेत्र चरण 3 बड़े आउटब्रेक श्रेणी (Stage 3 large outbreak) के अन्तर्गत आता है, तो निम्नांकित कार्यवाही की जावें :–

A. नियंत्रण क्षेत्र में (Containment Zonea) कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जावें।
B. नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zone) के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को Geographical Quarantine कर कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जावें।
C. निष्क्रिय निगरानी (Passive Surveillance) को सशक्त कर प्रभावी रूप से लागू किया जावें।

D. आवश्यक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की जावें।

E. प्रभावित अधिकतम केसों का घर पर ही उपचार किया जावें।

F. बड़े आउटब्रेक वाले क्षेत्र के समीप Round the Clock सेवाएं सर्विस।

G. रोग की गंभीरता पता करने के लिए रोग सूचक केसों का क्लिनिकल मूल्यांकन किया जावें। यदि प्रभाावित व्यक्ति की श्वसन दर 15 प्रति मिनट से अधिक है, SpO_2 94 प्रतिशत से कम है एवं उसे कई अन्य बीमारियां (Multipal comorbid condition) भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जांच हेतु तुरंत नमूना लिया जाकर रोगी को Dedicated Covid Hospital अस्पताल में रेफर कर भर्ती किया जावें।

H. केवल Moderate से Severe रूप से बीमार रोगियों का इलाज स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र (Health facility centre) में किया जाये, बाकी सभी की घरेलू स्तर पर देखभाल व प्रबंधन किया जावें।।

I. इस पूरी प्रक्रिया के लिए सामाजिक जुड़ाव और सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जिला कलेक्टरों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जावे। कर्फ्यू के आदेश जारी करने के तुरंत बाद, यदि संभव हो तो कॉलोनीवार प्रभावशाली व्यक्ति, धार्मिक नेताओं के साथ बैठक आयोजित की जानी चाहिए। स्वयंसेवकों की एक सूची बनाकर उनका सहयोग लिया जाए। स्वयंसेवी संगठन जो आवश्यक सेवाओं के प्रबन्धन व आपूर्ति में सहयोगी हो सकते है, को चिन्हित किया जाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जावे।

5. राज्य के ऐसे जिले जो कोरोना प्रभावित नहीं है या जहां Hot Spots नहीं है में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

A. उक्त जिलों में Passive Surveillance को प्रभावी रूप से लागू किया जावें। ILI/ SARI केसों के लिए विशेष रूप से उभरने वाले किसी भी असामान्य पैटर्न के बारे में जानकारी हेतु साप्ताहिक आधार पर दो बार निगरानी की जावें।

B. साप्ताहिक आधार पर पूरे जिले में सभी मौतों की जानकारी का विश्लेषण और समीक्षा की जावें और पिछले महीने और उसी सप्ताह के पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से इसकी तुलना कर समीक्षा की जावें। यदि कोई असामान्य पैटर्न, पिछले दो वर्षों के औसत की तुलना में संबंधित महीने के लिए 20 प्रतिशत से अधिक या संबंधित सप्ताह के लिए 40 प्रतिशत से अधिक देखने को मिलता है तो राज्य सरकार को तत्काल अवगत कराया जावें।

C. स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, धर्मगुरुओं, राजनीतिक नेताओं की सूची बनायी जाए। यदि भविष्य में उस क्षेत्र में किसी पॉजिटिव केस की पहचान होती है तो इन व्यक्तियों का आपात स्थिति में स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए।

D. ऐसे व्यक्तियों की भी एक सूची बनायी जाये जो उच्च जोखिम में हैं, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सहरूग्णता (Comorbid Condition) वाले लोग।

5. **Scaling Down of Operations**—

A. कन्टेनमेंट के उपाय—कन्टेनमेंट क्षेत्र में यदि पिछले 28 दिनों में कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, तो चरण 1,2,3 बड़े आउटब्रेक श्रेणी को समाप्त कर दें, तथा निम्न के अतिरिक्त सभी उपायों को बंद कर दिया जाए—

I. क्षेत्र में Passive Surveillance जारी रखी जावें।

II. सभी ILI/SARI मामलों का RT-PCR का परीक्षण किया जाए।

COVID-19 रिस्पांस हेतु जिला प्रशासन (District Administrators) तथा क्रियान्वयन संस्था (Implementation Bodies) द्वारा उक्त दिशा—निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

24/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड—19, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 24.4.20
शासन उप सचिव